UPBG010067492025

<u>न्यायालयः जिला जज, बागपत।</u>

<u>उपस्थितः मनोज कुमार ।।।, एच.जे.एस.</u>

जे0 ओ 0 कोड 0–यू0 पी0 1909

<u>Regular Civil Appel-70/2025</u>

1. संजय कुमार
2. राजीव कुमार...पुत्रगण वेदप्रकाश

   निवासीगण ग्राम दौलतपुर, तहसील व जनपद बागपत।

...अपीलार्थीगण/वादीगण।

बनाम

1. बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत, तहसील व जिला बागपत।
2. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी.जी.सी. सिविल बागपत।

...प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत रेगुलर सिविल अपील न्यायालय सिविल जज जू०डि०–प्रथम, बागपत द्वारा वाद संख्या 113/2020, संजय कुमार आदि बनाम बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 15.07.2025, जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में सिविल अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा मूलवाद इन कथनों पर योजित किया गया था कि वादीगण का एक मकान आबादी, स्थित ग्राम दौलतपुर, तहसील व जनपद बागपत में स्थित है, जिसे वादीगण द्वारा वाद पत्र के अन्त में दर्शित नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से प्रदर्शित किया गया है, जिसके पूर्व दिशा में खेत व ग्राम खेडा मन्दिर, पश्चिम दिशा में रास्ता आम, उत्तर में प्रतिवादीगण व दक्षिण मे शर्मानन्द, सुभाष पुत्रगण जगन्नाथ का खेत स्थित अथवा खसरा नंबर 100 है। वादीगण के पिता मृतक श्री वेदप्रकाश ने अपने जीवन काल में वर्ष 1989 में खसरा नंबर 101 रकबा 0.1700 हेक्टेयर मे आबादी बना ली थी। तब से वादीगण अपने मकान व घेर के मालिक काबिज चले आते हैं। वादीगण के पिता मृतक श्री वेदप्रकाश, निवासी ग्राम दौलतपुर तहसील व जनपद बागपत भूमि, स्थित ग्राम दौलतपुर तहसील व जनपद बागपत के खाता संख्या 00083, खसरा नंबर 101 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, लगानी सालाना अंकन 8.00/–रूपये का तन्हा मालिक काबिज एवं संक्रमणीय भूमिधर था। वेदप्रकाश की मृत्यु के पश्चात वेदप्रकाश के जायज़ वारिस संजय कुमार व राजीव कुमार पुत्रगण वेदप्रकाश, निवासीगण ग्राम दौलतपुर तहसील व जनपद बागपत मालिक काबिज चले आते हैं। वादीगण के पिता ने अपने जीवन काल में अक्षर द,स,य,र,ल से प्रदर्शित जगह में गैलरी, दो कमरे, दो दुकड़ियां, दो बरामदे, लैट्रीन, बाथरूम, दो कमरे पूर्व दिशा में व गंडासा, आखोर बनाये थे, जिन्हे वादीगण अरसा करीब 60 वर्ष से मालिक काबिज के रूप में प्रयोग करते चले आते हैं तथा अक्षर अ,ब,स,द एक

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.04.28 16:34:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घेर है, जिसमे वादीगण अपने पशुओं को बांधते हैं तथा कूड़ी पड़ी है, जिसमे वादीगण की लैट्रीन, बाथरूम का गन्दा पानी घेर में इकट्ठा होता है। प्रतिवादीगण का अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से प्रदर्शित वादीगण की सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं था, ना ही अब है। प्रतिवादीगण, वादीगण के रहन, जिसे वाद पत्र के अन्त में नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से प्रदर्शित किया गया है, पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने पर उतारू हैं। प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 102 रकबा 0.2530 हेक्टेयर, जिसमे प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। स्कूल की चार दीवारी स्कूल बनाते समय ही हुई थी। वादीगण का खसरा नंबर 101 रकबा 0.1700 हेक्टेयर है, जिसमे आबादी बनी हुई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बार–बार समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रतिवादीगण सरकार की धमकी देते है कि यह ज़मीन सरकार की है, इसमे तुम्हारा कोई भी वास्ता या ताल्लुक नहीं है, जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण के रहन–सहन अलग–अलग खसरा नम्बर में है। फिर भी प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं है। उक्त आधार पर वादीगण द्वारा निम्न वर्णित अनुतोष याचित किया हैः–

(अ) न्यायालय की स्थायी निषेधात्मक आज्ञा की डिक्री बहक वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण के रहन सहन, जिसको वाद पत्र के अन्त में दर्शित नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम दौलतपुर तहसील व जनपद बागपत मे वादीगण के कब्ज़े व स्वामित्व मे हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए बाज रहे।

(ब) वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स) हर अन्य उचित प्रतिकार जो न्यायालय की दृष्टि मे हितकर वादीगण हो विरूद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

3. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र 43क प्रस्तुत करके वाद पत्र के अधिकांश अभिकथनों को अस्वीकार किया है तथा विशेष कथन किया है कि दिनांक 28.03.2018 को ग्राम दौलतपुर, तहसील व ज़िला बागपत में राजस्व निरीक्षक कुलदीप राठी के नेतृत्व में राजस्व टीम एवं पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम दौलतपुर के राजस्व अभिलेखों में अंकित खसरा संख्या 102 क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर प्राइमरी स्कूल व खसरा संख्या 124 क्षेत्रफल 0.551 व खाद के गड्ढे के क्षेत्रफल 0.063 हेक्टेयर की राजस्व अभिलेखों के अनुसार पैमाइश कर भूमि का चिन्हाकन किया गया व अस्थाई क़ब्ज़ा हटवा दिया गया था। मौके पर प्राइमरी स्कूल की भूमि को चिन्हीत कर प्रधानाध्यापक सुनील ढाका के सुपुर्द कर दिया गया था तथा शेष भूमि को ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। दिनांक 29.07.2020 को वादीगण द्वारा प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर की भूमि पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तथा विद्यालय का एक पेड़ भी काट दिया। नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व टीम द्वारा दिनांक 09.09.2020 के ग्राम दौलतपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय जो खसरा संख्या 102 में स्थित है, राजस्व टीम द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में स्कूल की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया। मौके पर उपस्थित राजस्व टीम व पुलिस एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करा लिये गये हैं। उक्त खसरा संख्या की भूमि पर वादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्ज़े को हटवा दिया गया है तथा स्कूल की भूमि कब्ज़ा मुक्त करा दी गयी है तथा स्कूल की भूमि को प्रधानाध्यापिका उच्च प्रा० विद्यालय दौलतपुर की सुपुर्दगी में दिया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में मौके की स्थिति के विपरीत दिया है। वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित भूमि खसरा संख्या 102 रकबई 0.2530 हेक्टेयर प्राइमरी स्कूल की भूमि के रूप में ग्राम सभा दौलतपुर के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिससे वादीगण का कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षर द,स,य स्थान पर उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर की 5 फुट ऊँची चार दीवारी बनी हुई है तथा चार दीवारी के आगे वृक्षारोपण किया हुआ है तथा विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं। वादीगण ने अपने खसरा संख्या 101 की कोई लम्बाई, चौड़ाई अर्थात पैमाइश वाद पत्र व नक्शा नजरी में नहीं दी

गयी है। खसरा संख्या 102 में स्थित उच्च प्रा० विद्यालय दौलतपुर का अपने राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि पर बजरिये चार दीवारी पूर्ण रूप से मौके पर कब्ज़ा है, जिससे वादीगण का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वादीगण ने उक्त वाद बदनीयती से सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी 6(2) की प्राइमरी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने की नीयत से वाद योजित किया गया है। उक्त आधार पर वादीगण का वाद खण्डित किये जाने की याचना की गयी।

4. वादीगण की ओर से रैप्लिका 49 क दिनांकित 23.10.2020 प्रस्तुत कर प्रतिवाद पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए मुख्यतया वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा **दिनांक 25.05.2023** को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः–

1. क्या वादीगण, वाद पत्र में वर्णित विवादित मकान/सम्पत्ति, जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से प्रदर्शित किया गया है, के मालिक व काबिज हैं? यदि हां तो प्रभाव?
2. क्या वादीगण का वाद अल्पमूल्यांकित है?
3. क्या वादीगण के वाद में प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वादीगण का वाद आदेश–7 नियम–11 सी०पी०सी० के प्राविधानों से बाधित है?
5. क्या वादीगण का वाद धारा 34/41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है?
6. क्या वाद वादी धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है?
7. क्या वादीगण का वाद विबंधन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित है?
8. क्या वादीगण का वाद पक्षकार वाद न बनाये जाने के कारण असंयोजन के दोष से बाधित है?
9. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकार रखता है, यदि हां तो प्रभाव?

6. वादीगण की ओर से सूची के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज़ दाखिल किये गये हैंः–

सूची	कागज़ संख्या	दाखिल दस्तावेज़
11 ग		
	12 ग	उद्धरण खतौनी
	13 ग	इन्तखाब खसरा
	14 ग	उद्धरण खतौनी
	15 ग	भूचित्र
	16 ग	प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.04.2018
	17 ग	प्रार्थना पत्र दिनांकित 11.08.2020
	18 ग	फ़ोटोग्राफ़
28 ग		
	29 ग	फोटो कॉपी नक्शा
	30 ग	नकल खसरा
	31 ग	कार्बन प्रति लेख
	32 ग	फोटो प्रति निर्णय दिनांकित 31.01.2003
	33 ग	बैनामा दिनांकित 07.06.2013

52 ग		
	53 क	नकल भू चित्र ग्राम दौलतपुर
	54 ग	नकल प्रमाणित जोत चकबन्दी आकार पत्र 41

7. वादीगण की ओर से निम्नलिखित मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

सूची	कागज़ संख्या	साक्षी का नाम	पी०डब्लू०
62 ग			
	63 क	संजय कुमार	पी०डब्लू० 1
	64 क	राजीव	पी०डब्लू० 2
71 ग			
	72 क	देवेन्द्र कुमार	पी०डब्लू० 3

8. प्रतिवादीगण की ओर से सूची के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज़ दाखिल किये गये हैंः–

सूची	कागज़ संख्या	दाखिल दस्तावेज़
40 ग		
	41 ग	फ़ोटोग्राफ़ प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुर
	42 ग	फ़ोटोग्राफ़ प्राथमिक विद्यालय व रसीद

9. प्रतिवादीगण की ओर से निम्नलिखित मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया हैः–

सूची	कागज़ संख्या	साक्षी का नाम	डी०डब्लू०
76 ग			
	77 क	जितेन्द्र सिंह (हल्का लेखपाल मौजा दौलतपुर)	डी०डब्लू० 1

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 15.07.2025 पारित करते हुए अपीलार्थीगण/वादीगण का उक्त वाद निरस्त कियाा गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत सिविल अपील योजित की गयी है।

11. सिविल अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15.07.2025 विधि विरुद्ध पारित किया है जो हर अवस्था में खण्डित होने योग्य है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखा का आलोच्य आदेश पारित किया है जो हर अवस्था में खण्डित होने योग्य है। अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय की पत्रावली पर खसरा संख्या 101 स्थित दौलतपुर बागपत के सम्बन्ध में अपना मालिकाना हक एवं कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिन पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और आलोच्य आदेश पारित किया है जो खण्डित होने योग्य है। अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय में विचारण मे खसरा संख्या 101 के 1/3 भाग के सम्बन्ध में वसीयत तथा 1/3 भाग विरासत एवं शेष के सम्बन्ध में बैनामा प्रस्तुत किया था जिससे खसरा संख्या 101 के मालिकाना हक को पूर्ण रूप से साबित किया है फिर भी विचारण न्यायालय ने अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के आदेश से मौके की स्थिति के लिये अमीन कमीशन रिपोर्ट मंगायी थी जो रिपोर्ट दिनाकिंत 08.09.2020 को

विचारण न्यायालय में प्रेषित की थी जिससे मौके की स्पष्ट स्थिति विचारण न्यायालय में आयी थी कि वाद पत्र में प्रदर्शित नक्शा नजरी के अनुसार ही वादीगण का कब्जा है जिसका उपयोग व प्रयोग अपीलार्थीगण करते आ रहे हैं परन्तु विचारण न्यायालय ने अमीन रिपोर्ट को भी नजर अंदाज किया है और आलोच्य आदेश पारित किया है जो खण्डित होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिंनाक 15.07.2025 के पैरा संख्या 22 मे उद्धरण खतौनी 12ग में उल्लेखित अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, सन्दीप व कमला के अंश को नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं करना बताया है जबकि उपरोक्त सभी व्यक्ति अपना अंश राजेन्द्र प्रसाद त्यागी को विक्रय कर दिया था जिसे पंजीकृत बैनामा द्वारा अपीलार्थीगण के पिता ने क्रय कर लिया था जिसका इन्द्राज आबादी की भूमि के कारण नहीं हो सका है, पर भी विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है। खसरा संख्या 101 की शेष भूमि के विनियम एवं कब्जा देने के सम्बन्ध में न्याय पंचायत पिलाना द्वारा पारित आदेश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बागपत द्वारा पारित अपील आदेश पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है और आलोच्य आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल दस्तावेज सूची 52ग द्वारा दाखिल नकल भू–चित्र एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र–11 जिससे खसरा संख्या 101 का आबादी में दर्ज होना स्पष्ट है, पर भी ध्यान नहीं दिया है। अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी तरफ से वादी साक्ष्य के रूप में तीन गवाह प्रस्तुत किये गये है, जिन्होंने वादी के वाद में वादी का मालिकाना हक एवं कब्जा सिद्ध किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य को अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया है। विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की ओर से एक साक्षी लेखपाल मौजा दौलतपुर को प्रस्तुत किया है जिसने स्वीकार किया है कि खसरा संख्या 102 खसरा संख्या 101 के दक्षिण दिशा में है और जिरह के दूसरे पेज की पांचवी लाईन में स्वीकार किया है कि "खसरा संख्या 101 के रकबे पर वादीगण के मकान है, कुछ भाग कृषि यंत्रो का इस्तेमाल करने के लिये खाली पड़ी है तथा नक्शा नजरी मौके के अनुसार सही है" फिर भी विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है और आलोच्य आदेश पारित किया है। यदि अपीलार्थीगणों की अपील स्वीकार नहीं की जाती है तो अपीलार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.07.2025 निरस्त कर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

12. अपील के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से लिखित आपत्ति कागज संख्या 24ग प्रस्तुत करते हुए कथन किए गए हैं कि अपीलार्थीगण की सिविल अपील नियम एवं तथ्यों के विपरीत होन के कारण पोषणीय नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.07.2025 विधि अनुरूप तथा विधि व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया है जो कि स्थित रहने योग्य है। वास्तविक्ता यह है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा खसरा संख्या 101 रकबा 0.1700 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टस के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश का अनुतोष याचित किया है परन्तु अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र व नक्शा नजरी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा संख्या 101 रकबा 0.1700 हैक्टेयर की कुल लम्बाई, चौडाई क्या है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा दाखिल भू चित्र 15 ग में खसरा संख्या 101 व 102 की आकृति तथा नक्शा नजरी वाद पत्र में दर्शित विवादित भूमि व खसरा संख्या 102 की आकृति में अन्तर किस प्रकार से दर्शित हो रहा है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उद्धरण खतौनी 12 ग में उल्लिखित अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, संदीप, व कमला का अंश नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित विवादित भूमि मे किस ओर स्थित है। वर्णित परिस्थितियों में विवादित भूमि की प्रास्थिति अनिश्चित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि के अनिश्चित होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की निर्णयज विधि फूलमती देवी बनाम मानिकलाल [2005 (2) एडब्लूसी 1823 (एएलएल)(एलबी)] में

भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जिस विवादित अचल सम्पत्ति की पहचान कर उसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है उस विवादित अचल सम्पत्ति पर निषेधाज्ञा का अनुतोष भी नहीं दिया जा सकता। वास्तविक्ता यह है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा नक्शा वाद पत्र में विवादित भूमि की लम्बाई चौडाई उल्लेखित न किये जाने के कारण व विवादित खसरा संख्या 101 की प्रास्थिति निश्चित न होने के कारण व विवादित खसरा संख्या 101 के अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, संदीप व कमला को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वर्तमान वाद मे संयोजित न किये जाने के कारण एवं नक्शा नजरी वाद पत्र में विवादित खसरा संख्या 101 के अन्य सहखातेदारान के अंश के बाबत कोई उल्लेख न किये जाने के कारण वादीगण/अपीलार्थी अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित विवादित भूमि का मालिक काबिज स्वयं को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा दाखिल उद्धरण खतौनी 12ग में विवादित खसरा संख्या 101/0.1700 हैक्टेयर में अपीलार्थीगण/वादीगण के अलावा मुकेश, कपिल, संदीप व कमला का नाम भी सहखातेदारान के रूप में दर्ज है परन्तु अपीलार्थी/वादीगण द्वारा उक्त सहखातेदारान के अंश को नक्शा नजरी वाद पत्र में कहीं भी दर्शित नहीं किया है न ही अपीलार्थीगण द्वारा विवादित खसरा संख्या 101 के सभी सहखातेदारान को वर्तमान वाद मे संयोजित किया है, जबकि वाद पत्र के प्रस्तर 3 व 10 में वादीगण द्वारा खसरा संख्या 101 के सम्पूर्ण रकबे 0.1700 हैक्टेयर में शान्तिपूर्वक रहन सहन करते चले आने तथा उसके पिता वेदप्रकाश को तन्हा मालिक, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर होना व वेदप्रकाश की मृत्यु के पश्चता वादीगण/अपीलार्थीगण को मालिक व काबिज होने का अभिवचन किया है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वर्तमान वाद मे अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, संदीप व कमला को संयोजित न किये जाने के कारण आवश्यक पक्षों के असंयोजन का दोष विद्यमान है। आदेश 1 नियम 9 सी०पी०सी० के परन्तुक के अनुसार आवश्यक पक्षों को संयोजित न किये जाने के कारण वाद विफल हो जाता है। इसलिए अपीलार्थीगण/वादीगण की सिविल अपील निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

13. अपीलार्थीगण की ओर से आपत्ति के विरूद्ध प्रतिआपत्ति कागज संख्या 28ग दाखिल करते हुए आपत्तिपत्र को निरस्त किए जाने की याचना करते हुए अपने विशेष कथन किए गए हैं कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व आदेश दिनांकित 15.07.2025 को पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन नहीं किया है और मात्र प्रतिवादीगण के उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था होने के कारण सरसरी तौर पर खारिज किया है। विपक्षीगण ने न्यायालय में जो आपत्ति प्रस्तुत की है उसमें किसी भी आपत्तिकर्ता का शपथपत्र आपत्ति के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण से उपरोक्त आपत्ति पठनीय व पोषणीय नहीं है तथा हर दशा में निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण के विवादित आबादी खसरा संख्या 101 जिसका पुराना नम्बर 867 व रकबा 0.1700 वर्गमीटर है, के सम्बन्ध में अपने संक्रमणीय भूमिधर होने के सबूत राजस्व अभिलेख पत्रावली पर दाखिल किये हैं। जिससे अपीलार्थीगण/वादीगण की सम्पत्ति की पूर्णतः पहचान है। जिसे न्यायालय द्वारा जारी अमीन कमीशन में भी साबित किया गया है और अमीन कमीशन रिपोर्ट से अपीलार्थीगण/वादीगण का कब्जा व उपयोग करने की स्थिति व उसकी लम्बाई चौडाई पत्रावली पर प्रेषित की गयी थी। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है और मनमाफिक तरीके से प्रश्नगत आदेश पारित किया है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था कृष्णाराम मोहले बनाम शोभा वेकटमराव ए.आई.आर. 1989 सुप्रीम कोर्ट 2097 में प्रतिपादित किया है कि पत्रावली पर रखी अमीन कमीशन रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय को ध्यान देना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली पर अपीलार्थीगण/वादीगण व प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के साक्षियों ने अपीलार्थीगण का कब्जा खसरा संख्या 101 पर साबित किया है और मकान बना होना

स्वीकार है। वादीगण ने अपने अभिलेखीय साक्ष्यों द्वारा अपने ऑनरशिप को भी साबित किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है जबकि विधि व्यवस्था प्रेमजी रतन सहाय शाह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 1994 (5) एस.सी.सी. 547 में प्रतिपादित किया है कि अचल सम्पत्ति पर कब्जा और ऑनरशिप साबित होने पर स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है और इसी प्रकार अन्य विधि व्यवस्था दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिह ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 276 में भी प्रतिपादित किया गया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है और सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक साक्षी को परीक्षित कराया है जिसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि खसरा संख्या 101 वादीगण का है जिससे प्रतिवादीगणों का कोई मतलब वास्ता नहीं है और प्रतिवादीगण का खसरा संख्या 102 है जिस पर प्राईमरी पाठशाला बनी हुयी है और प्रतिवादीगण उस पर काबिज है और वादीगण अपने खसरा संख्या 101 पर मालिक व काबिज है। जिसको भी विचारण न्यायालय ने अनदेखा किया है और मनमाफिक प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा भूलवश वादपत्र में अपने खसरा संख्या 101 की लम्बाई चौडाई तहरीर करने से रह गयी है परन्तु न्यायालय के आदेश से जारी अमीन कमीशन द्वारा वादीगण की उक्त भूमि की लम्बाई चौडाई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर प्रतिवादीगण ने एक सामान्य आपत्ति/जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर अपने मालिकाना हक के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखा प्रस्तुत किये है जिससे स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 101 अपीलार्थीगण/वादीगण के नाम पर दर्ज है और जिसका रकबा 0.1700 है० है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में खसरा संख्या 102 का प्राईमरी पाठशाला प्रतिवादीगणों के पास है ऐसा कोई भी राजस्व अभिलेख प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खसरा संख्या 101 पर अपीलार्थीगण/वादीगण का मालिकाना हक न हो और इन्ही के साथ अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय की समस्त पत्रावली पर अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग करते हुए फोटोग्राफ लगाकर अपने कब्जे को बाखूबी साबित किया गया है परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन किये बगैर उक्त आदेश पारित किया है जो खण्डित होने योग्य है, इसलिये विपक्षीगणों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति न्यायहित मे खण्डित किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आपत्तिपत्र को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

14. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से लिखित बहस कागज संख्या 29ग दाखिल की गयी है तथा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस कागज संख्या 30ग दाखिल की गयी है।

15. मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

16. प्रस्तुत सिविल अपील में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु अवधारित किए जाते हैं–

I– क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 15.07.2025 विधि एवं तथ्यों के अनुरूप है अथवा नहीं?

II– अनुतोष?

17. निस्तारण निर्धारण बिंदु संख्या 1:–

18. प्रस्तुत वाद अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित विवादित भूमि खसरा संख्या 101/0.1700 हेक्टेयर, जिसके पूरब दिशा में खेत व ग्राम खेड़ा मंदिर, पश्चिम दिशा में रास्ता आम, उत्तर में

प्रतिवादीगण तथा दक्षिण में शर्मानन्द का खेत खसरा नंबर 100 है, के वादीगण मालिक व काबिज हैं। प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 102 प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। अक्षर द,स,य,र,ल से प्रदर्शित जगह में वादीगण द्वारा गैलरी आदि निर्माण कराया गया है तथा अक्षर अ,ब,स,द से दर्शित स्थान घेर है, जिसमें वादीगण अपने पशुओं को बांधते हैं तथा कूड़ी पड़ी है।

19. प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा प्राइमरी स्कूल, दौलतपुर की दीवार को तोड़ने का प्रयास करके पशुओं को बांधने का प्रयास किया तथा दिनांक 09.09.2020 को ग्राम दौलतपुर, स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय खसरा संख्या 102 से अतिक्रमण हटवा लिया गया व स्कूल की भूमि कब्ज़ा मुक्त कराकर प्रधानाध्यापिका की सुपुर्दगी में दिया गया। नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित भूमि खसरा संख्या 102 प्राइमरी स्कूल की भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा अक्षर द,स,य स्थान पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुर की 5 फुट ऊंची दीवार बनी हुई है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15.07.2025 विधि विरुद्ध पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखा का आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय की पत्रावली पर खसरा संख्या 101 स्थित दौलतपुर बागपत के सम्बन्ध में अपना मालिकाना हक एवं कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिन पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय में विचारण में खसरा संख्या 101 के 1/3 भाग के सम्बन्ध में वसीयत तथा 1/3 भाग विरासत एवं शेष के सम्बन्ध में बैनामा प्रस्तुत किया था जिससे खसरा संख्या 101 के मालिकाना हक को पूर्ण रूप से साबित किया है। विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांकित 15.07.2025 के पैरा संख्या 22 मे उद्धरण खतौनी 12ग में उल्लेखित अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, सन्दीप व कमला के अंश को नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं करना बताया है जबकि उपरोक्त सभी व्यक्ति अपना अंश राजेन्द्र प्रसाद त्यागी को विक्रय कर दिया था जिसे पंजीकृत बैनामा द्वारा अपीलार्थीगण के पिता ने क्रय कर लिया था जिसका इन्द्राज आबादी की भूमि के कारण नहीं हो सका है, पर भी विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है।

21. उक्त संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा दाखिल उद्धरण खतौनी कागज संख्या 12ग में विवादित खसरा संख्या 101/0.1700 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 19/0.0250 हेक्टेयर में अपीलार्थीगण/वादीगण संजय व राजीव के अतिरिक्त मुकेश, कपिल, संदीप व कमला का नाम भी सहखातेदार के रूप में अंकित है तथा उद्धरण खतौनी कागज संख्या 14ग में खसरा संख्या 102 रकबा 0.2530 हेक्टेयर प्राइमरी स्कूल के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार इन्तखाब खसरा 1395 फसली कागज़ संख्या 13ग में खसरा संख्या 101/0.1700 में वेदप्रकाश के अलावा जयप्रकाश व आसाराम का नाम भी सहखातेदार के रूप में अंकित है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा दाखिल विक्रय पत्र दिनांकित 07.06.2013 कागज़ संख्या 33ग में राजेन्द्र प्रसाद त्यागी द्वारा खसरा नंबर 101 में स्थित अपने सम्पूर्ण 1/12 भाग क्षेत्रफल 141.66 वर्ग मीटर का एक आवासीय मकान वेदप्रकाश के पक्ष में 1,00,000/− प्रतिफल प्राप्त करके वेदप्रकाश को विक्रीत किया जाना उल्लेखित है, परन्तु उक्त विक्रय पत्र से संबंधित कोई विवरण वादीगण द्वारा दाखिल उद्धरण खतौनी 12ग में अंकित नहीं है।

22. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से संजय कुमार को (पी०डब्लू० 1) के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 63क में वाद पत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति की है। इस साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में खसरा संख्या 101 उसके व उसके भाई राजीव के नाम होना व खसरा संख्या 101 की

लम्बाई, चौड़ाई की जानकारी न होना अभिकथित किया है। राजीव पी०डब्लू० 2 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 64 क में मुख्यतया वाद पत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति की है। इस साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में खसरा नंबर 101 में उसका व उसके भाई का मकान होना कहा है तथा खसरा नंबर 101 की लम्बाई, चौड़ाई की जानकारी न होना कहा गया है। साक्षी देवेन्द्र कुमार पी०डब्लू० 3 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 72 क में मुख्यतया वाद पत्र के अभिकथनों की पुनरावृत्ति की है। इस साक्षी पी०डब्लू० 3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थीगण/वादीगण की ज़मीन के खसरा नंबर व रकबे की जानकारी न होने का कथन किया है। जहाँ तक अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति अपना अंश राजेन्द्र प्रसाद त्यागी को विक्रय कर दिया था जिसे पंजीकृत बैनामा द्वारा अपीलार्थीगण के पिता ने क्रय कर लिया था जिसका इन्द्राज आबादी की भूमि के कारण नहीं हो सका है, किन्तु उक्त संबंध में अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विवादित खसरा नंबर 101 तथा उद्धरण खतौनी 12 ग में दर्शित सहखातेदारान मुकेश, कपिल, संदीप व कमला का अंश नक्शा वाद पत्र में अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल से दर्शित विवादित भूमि में कहां पर स्थित है।

23. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा खसरा संख्या 101 रकबा 0.1700 हेक्टेयर पर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश का अनुतोष याचित किया है, परन्तु अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वादपत्र व नक्शा नजरी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा संख्या 101 रकबा 0.1700 हेक्टेयर की कुल लम्बाई, चौड़ाई क्या है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा दाखिल भू चित्र 15 ग में खसरा संख्या 101 व 102 की आकृति तथा नक्शा नजरी वाद पत्र में दर्शित विवादित भूमि व खसरा संख्या 102 की आकृति में अंतर किस प्रकार से दर्शित हो रहा है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उद्धरण खतौनी 12 ग में उल्लिखित अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, संदीप व कमला का अंश नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल से दर्शित विवादित भूमि में किस ओर स्थित है। वर्णित परिस्थितियों में विवादित भूमि की प्रास्थिति अनिश्चित है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में वादपत्र के साथ संलग्न भूचित्र कागज संख्या 15 ग में खसरा संख्या 101 व 102 के मध्य सीधी लाईन होना अंकित है जबकि वादपत्र के साथ अपीलार्थीगण की ओर से जो नक्शा संलग्न किया गया है उसमें अक्षर अ, ब, स, द सीधी रेखा के रूप में नहीं है बल्कि एक अलग साईड में दर्शाया गया है। जबकि शब्द द , स, य एक सीधी रेखा दर्शायी गयी है। विवादित भूमि अ, ब, स, द को मूलवाद के प्रतिवादीगण द्वारा विद्यालय की भूमि होना कहा गया है तथा कहा गया है कि राजस्व टीम के द्वारा मापतौल करके विद्यालय के कब्जे में भूमि दी जा चुकी है जिस पर विद्यालय की पाँच फुट की चार दीवारी बनी हुई है। उक्त चार दीवारी के संबंध में फोटोग्राफ दाखिल किए गए हैं। अपीलार्थीगण की ओर से उक्त अ, ब, स, द भूमि को अपनी होना कहा गया है। उसी पर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जाना वादपत्र में कहा गया है। मूलवाद की पत्रावली में स्वंय अपीलार्थीगण ने यह भी स्वीकार है कि उनके गाटा संख्या 101 का रकबा मौके पर 0.1700 है० से कम है। उक्त संबंध में अपीलार्थीगण राजस्व न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु स्वतंत्र थे, लेकिन अपीलार्थीगण की ओर से न तो यह बताया गया कि मौके पर उनका गाटा संख्या 101 की कितनी भूमि पर कब्जा है तथा कितनी भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। बल्कि अपीलार्थीगण की ओर से गाटा संख्या 101 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि 0.1700 है० भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना करते हुए यह अनुतोष चाहा गया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण की चार दीवारी बनी होना पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों से तथा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है।

25. जहाँ तक अमीन कमीशन की रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने का तर्क दिया गया है उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर संलग्न अमीन आख्या 34 ग दिनांकित 08.09.2020 में विवादित भूमि को अक्षर

ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच से दर्शित किया है तथा उसके उत्तर में प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल दर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र व अमीन रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र तथा वादीगण द्वारा दाखिल भू चित्र ग्राम दौलतपुर 1370 फसली कागज़ संख्या 15ग में खसरा संख्या 101 व उसके उत्तर में स्थित खसरा संख्या 102 की प्रास्थिति में अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है तथा विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में अमीन रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा अमीन रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया हो।

26. जहाँ तक अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से अपील में यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम जनपद सत्र न्यायाधीश द्वारा विविध सिविल अपील संख्या 13/2000 वेदप्रकाश बनाम सुभाष आदि में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 09.03.2005 द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 101 के संबंध में यथास्थिति बनाए जाने के आदेश की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखी की गयी है, उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय/आदेश की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी थी, लेकिन उक्त आदेश/निर्णय अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है जिसमें केवल वाद लम्बित रहने तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थीगण की ओर से न तो कोई ऐसा तर्क दिया गया और न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य दिया गया कि उक्त विविध अपील से संबंधित मूलवाद संख्या 10/2000 वेदप्रकाश बनाम सुभाष आदि का निर्णय अपीलार्थीगण के पक्ष में हुआ या अभी भी उक्त मूलवाद लम्बित है तथा आदेश दिनांकित 09.03.2005 प्रभावी है। उक्त मूलवाद 10/2000 के परिणाम या कार्यवाही लम्बित होने के संबंध में केाई कथन अपीलार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है। अतः उक्त तर्क से अपीलार्थीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

27. प्रस्तुत प्रकरण में नक्शा वादपत्र में विवादित भूमि की लम्बाई, चौड़ाई उल्लेखित न किये जाने के कारण व विवादित खसरा संख्या 101 की प्रास्थिति निश्चित न होने के कारण व विवादित खसरा संख्या 101 के अन्य सहखातेदारान मुकेश, कपिल, संदीप व कमला को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वर्तमान वाद में संयोजित न किये जाने के कारण एवं नक्शा नजरी वाद पत्र में विवादित खसरा संख्या 101 के अन्य सहखातेदारान के अंश के बाबत कोई उल्लेख न किये जाने के कारण अपीलार्थीगण/वादीगण अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित विवादित भूमि का मालिक काबिज स्वयं को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश/निर्णय में जो निष्कर्ष दिया गया है वह किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण होना नहीं कहा जा सकता।

28. अतः, उपरोक्त के आधार पर, न्यायालय का यह मत है कि आलोच्य आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में दिया गया निष्कर्ष सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि संबंधी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः निर्धारण बिंदु संख्या 1 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

29. **निस्तारण निर्धारण बिंदु संख्या 2:-**

30. उपरोक्त की गयी विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित खसरा संख्या 101 रकबा 0.1700 हेक्टेयर की प्रास्थिति अनिश्चित होने के कारण, वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षों के असंयोजन का दोष विद्यमान होने के कारण व नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल से दर्शित विवादित भूमि का मालिक व काबिज स्वयं को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण, अपीलार्थीगण/वादीगण विवादित भूमि पर स्थायी व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अपीलार्थीगण/वादीगण अपने सर्वोत्तम साक्ष्य से विवादित भूमि के बाबत अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विश्लेषण, आंकलन, तथ्यों एवं परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में दिया गया निष्कर्ष सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक, तथ्यात्मक त्रुटि

व अनियमितता नहीं है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आलोच्य आदेश पुष्ट होने योग्य है तथा अपील निरस्त किए जाने योग्य है। तदानुसार निर्धारण बिंदु संख्या 2 निस्तारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत रेगुलर सिविल अपील निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.07.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये। अपीलीय न्यायालय की पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

दिनांकः–28.04.2026 **(मनोज कुमार–III),**
जिला जज,
बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः–28.04.2026 **(मनोज कुमार–III),**
जिला जज,
बागपत।